संख्याः ✓ /XVII–2/14–01(16)/2014

प्रेषक,

पी0एस0 जंगपांगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला/समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 23 दिसम्बर, 2014

विषयः **"तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना" में पुरूषों को भी सम्मिलित किया जाना।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि व्यवसाय में संलग्न महिलाओं के कृषि कार्य में विकलांग होने की स्थिति में उन विकलांग महिलाओं को प्रतिमाह रू0 800/– भरण पोषण अनुदान प्रदान किये जाने के लिए शासनादेश संख्याः 328/XVII–2/14–01(16)/2014 दिनांक 04 मार्च, 2014 के द्वारा प्रारम्भ "तिलू रौतेली विशेष पेंशन योजना" के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि व्यवसाय कर रहे पुरूषों को भी कृषि कार्य में विकलांग होने की स्थिति में प्रतिमाह ₹ 800/– भरण–पोषण अनुदान निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– योजनान्तर्गत मासिक आय सीमा का प्राविधान नहीं है।

2– योजना का लाभ ऐसे ग्रामीण पुरूषों को अनुमन्य होगा, जिनकी विकलांगता का प्रतिशत 20 से 40 के मध्य हो।

3– आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष तक हो तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी अन्य योजना का लाभ प्रदान नहीं हो रहा हो।

4– ऐसे पुरूष यदि 60 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेते हैं एवं तत्समय वह वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्रता में आते है, तो उन्हें वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की जायेगी एवं यह सुविधा समाप्त कर दी जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि जब तक सम्बन्धित पुरूष को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति/भुगतान नहीं होती, तब तक उसे इस योजना से पेंशन जारी रखी जायेगी।

5– यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 1013/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पी0एस0 जंगपांगी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1430 (1)/ XVII–2/14–01(16)/2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3– निजी सचिव, मा0 समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन
5– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6– प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
7– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11– महानिदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

(4)

संख्याः 328 /XVII–2/14–01(16)/2014

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला/समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 01 मार्च, 2014

विषयः महिलाओं के कृषि कार्य में विकलांग होने की स्थिति में "तिलू रौतेली विशेष पेंशन योजना" प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि व्यवसाय में संलग्न महिलाओं के कृषि कार्य में विकलांग होने की स्थिति में उन विकलांग महिलाओं को "तिलू रौतेली विशेष पेंशन योजना" के अन्तर्गत प्रतिमाह रू0 800/– भरण पोषण अनुदान प्रदान किये जाने के लिए राज्य में पूर्व से संचालित "विकलांग भरण पोषण अनुदान योजना" के प्राविधानों में निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शिथिलता प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– प्रश्नगत योजना राज्य में पूर्व से संचालित "विकलांग भरण पोषण अनुदान योजना" में शिथिलता प्रदान करते हुए प्रारम्भ की जा रही है। शिथिलीकरण के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि व्यवसाय में संलग्न महिलाओं के कृषि कार्य में विकलांग होने के फलस्वरूप विशेष परिस्थिति में यह सहायता प्रदान की जा रही है। अतः पूर्व से लागू योजना के रहते हुए भी इस योजना का नाम "तिलू रौतेली विशेष पेंशन योजना" दिया जा रहा है।

2– प्रश्नगत योजना में मासिक आय सीमा का प्राविधान नहीं है तथा योजना 01 अप्रैल, 2014 से लागू होगी।

3– योजना का लाभ ऐसी ग्रामीण महिलाओं को अनुमन्य होगा, जिनकी विकलांगता का प्रतिशत 20 से 40 के मध्य हो।

4– महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष तक हो तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी अन्य योजना का लाभ प्रदान नहीं हो रहा हो।

5– ऐसी महिला यदि 60 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेती है एवं तत्समय वह वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्रता में आती है, तो उसे वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की जायेगी एवं यह सुविधा समाप्त कर दी जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि जब तक सम्बन्धित महिला को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति/भुगतान नहीं होती, तब तक उसे इस योजना से पेंशन जारी रखी जायेगी

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः (1)/ XVII-2/14-01(16)/2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3- निजी सचिव, मा0 समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड।
4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन
5- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6- प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
7- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9- उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10- निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11- महानिदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)
अपर सचिव।